मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 261 /22/वि–12/ग्रासप्रा/Maint-1/25 भोपाल, दिनांक 04 /03/2025

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त),
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई–..................
जिला–............................ (म.प्र.)

विषयः– MPRRDA द्वारा निर्मित पहुच मार्गो पर **Road cutting permission** जारी करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– MPRRDA मुख्यालय भोपाल से जारी निर्देश क्र.–1047 दिनांक 20.01.2020।

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित निर्देश द्वारा MPUDCL के अंतर्गत प्रचलित जल–मल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पाईप लाईन बिछाने हेतु अनुमति एवं Restoration हेतु तकनीकी निर्देश जारी किये गये थे। विभिन्न विभागों द्वारा जल–मल परियोजनाओं एवं अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु Road cutting permission हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाते है। जिसके शीघ्र निराकरण हेतु पूर्व में संदर्भित निर्देश से निर्धारित प्रक्रिया को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

1. आवेदन प्रस्तुतीकरण, अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया एवं समय–सीमा संलग्नक **पैरा–क** के अनुसार है।
2. Pipe/cable laying etc. का कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप किये जाने वाले Road restoration के विकल्प **पैरा–ख** के अनुसार है।
3. बिना अनुमति Pipe laying/ cable laying etc. करने के फलस्वरूप की जाने वाली कार्यवाही का विवरण **पैरा–ग** के अनुसार है।
4. अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन के समुचित निराकरण की समय–सीमा 30 दिवस है।

पत्र के साथ संलग्न विस्तृत निर्देशों का परीक्षण करें एवं निर्देशानुसार समय–सीमा में पालन सुनिश्चित करें।

संलग्नः विस्तृत निर्देश, पैरा–क/ख/ग।

(प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदित)

Shobha 4/3/2025

(शोभा निकुम)
अवर सचिव
म.प्र. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

C:\Users\DELL\Downloads\letter.docx

पृ.क्र. 262/22/वि–12/ग्रासप्रा/Maint-1/25 भोपाल, दिनांक 04/03/2025

प्रतिलिपिः

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, औधोगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर जावक क्र. 386/29/1 दिनांक 08.02.2025 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
8. संचालक पंचायती राज संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
9. आयुक्त (समस्त) संभाग..............................।
10. जिला कलेक्टर (समस्त) जिला...............................।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल
12. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
13. प्रभारी अधिकारी ई–गर्वनेस की ओर MPRRDA Website पर Upload करने बावत।

04/3/2025

अवर सचिव
म.प्र. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

विषयः– **Road cutting अनुमति के संबंध में।**

––00––

MPRRDA द्वारा निर्मित पहुँच मार्गों पर अतिआवश्यक सेवाएं जैसे जल–मल योजनाओं के अंतर्गत पाइप लाईन/सीवेज लाइन/गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाईन/केवल लाईन इत्यादि Rail line/ROB कैनाल क्रासिंग करने की अनुमति के संबंध में दिशा निर्देश।

प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्गों पर केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के शासकीय विभाग/अर्द्वशासकीय विभाग/शासकीय कंपनी/निजी कम्पनी/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/ग्राम पंचायत/निजी व्यक्तियों आदि द्वारा अतिआवश्यक सेवाऐ प्रदान करने बावत् रोड कटिंग की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु **संबंधित पीआईयू के महाप्रबंधक को अधिकृत किया जाता है।**

रोड कटिंग की अनुमति हेतु महाप्रबंधक पीआईयू निम्न प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करेगे एवं करायेगे–

क. आवेदन, अनुमति की प्रकिया एवं समय सीमा :–

1. संबंधित ऐजेंन्सी द्वारा रोड कटिंग अनुमति हेतु पाईप लाईन/केवल लाईन इत्यादि की Laying planning एवं Work Plan के साथ आवेदन (Annexure–A) महाप्रबंधक कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा महाप्रबंधक के कार्यालयीन ई–मेल आईडी पर प्रेषित किया जावेगा। MPRRDA के अंतर्गत कार्यशील पीआईयू के e-mai ID संलग्न है।
2. आवेदन में संबंधित एजेंसी द्वारा Road Restoration हेतु विकल्प चयनित करना आवश्यक होगा।

ख. Restoration की प्रकिया :–

Restoration हेतु निम्नानुसार विकल्प है–

विकल्प – 1 Restoration का कार्य रोड कटिंग अनुमति प्राप्त करने वाली **ऐजेन्सी द्वारा स्वयं किये जाने हेतु सहमत है।**

विकल्प – 2 Restoration का कार्य प्राधिकरण से कराये जाने हेतु सहमत है।

विकल्प – 1. इस विकल्प के अंतर्गत –

I. Annexure-B के आधार पर आंकलित Restoration की लागत के समतुल्य राशि की परफॉरमेन्स सिक्योरिटी, बैंक गारण्टी (अवधि–वर्क प्रोग्राम के अनुसार समय अवधि के अतिरिक्त 45 दिवस) के रूप में एवं 06 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज (Non-Refundable) प्राधिकरण के विनिर्दिष्ट खाते में आवेदन के साथ जमा करनी होगी।

II. आवेदन के साथ संलग्न Work Programme के अनुसार अनुमति प्राप्त होने के 1 माह के भीतर किये जाने वाले Laying कार्य का Restoration करने पर आने वाली लागत के समतुल्य राशि की Performance Security बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी। Restoration कार्य पूर्ण होने पर एवं गुणवत्ता परीक्षण में किया गया Restoration कार्य मापदण्ड अनुसार पाये जाने पर उक्त जमा बैंक गारण्टी की राशि की सीमा तक आगामी लंबाई में Laying कार्य किये जाने हेतु मान्य की जा सकेगी।

III. संबंधित एजेंसी Laying कार्य प्रारंभ करने की सूचना लिखित/इलेक्ट्रानिक मीडिया/ई–मेल के माध्यम से पीआईयू के उपयंत्री/सहायक प्रबंधक/महाप्रबंधक को देगें एवं Restoration कार्य की Site order Book निर्माण स्थल पर उपलब्ध करावेगे।
इकाई के इन्जीनियर्स कार्य प्रारंभ होने की सूचना प्राप्त होने पर Restoration का कार्य गुणवत्ता के अनुरूप कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। महाप्रबंधक इकाई के इन्जीनियर्स द्वारा सहयोग न करने की स्थिति में संबंधित इंजीनियर के विरूद्व कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

IV. एजेंसी द्वारा बिना सूचना दिये Laying कार्य प्रारंभ करने, निरीक्षण के समय दिये गये निर्देशों अथवा Site order Book पर दिये गये निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में महाप्रबंधक पीआईयू अनुमति हेतु जमा की गई परफारमेंसी Performance Security की बैंक गारंटी को राजसात करते हुए नगदीकरण कराये जाने हेतु स्वतंत्र होगे, साथ ही शेष Restoration का कार्य सड़क की वर्तमान संधारण एजेंसी के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लेने हेतु महाप्रबंधक पीआईयू को अधिकृत किया जाता है।

<u>विकल्प – **2.**</u> इस विकल्प के अंतर्गत –

I. Annexure-B के आधार पर किये जाने वाले Laying कार्य के Restoration हेतु आंकलित Restoration लागत के समतुल्य राशि के अतिरिक्त 06 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज (Non-Refundable) प्राधिकरण के विनिर्दिष्ट खाते में आवेदन के साथ जमा करनी होगी।

II. **संधारण हेतु नियुक्त संविदाकार द्वारा Road Restoration करने की सहमति प्रदान करने पर,** Restoration का कार्य, रोड कटिंग Permission जारी दिनांक को MPRRDA के अंतर्गत लागू SSR दर पर कराने हेतु अधिकृत किया जाता है।

III. **संधारण हेतु नियुक्त संविदाकार द्वारा Road Restoration करने हेतु असहमति प्रदान करने पर** सामान्य प्रक्रिया के तहत विधिवत

निविदा आमंत्रित कर Road Restoration का कार्य कराया जावेगा।

IV. बिन्दु क्रमांक–II एवं III के अंतर्गत किये जाने वाले Road Restoration कार्य पर आने वाले वास्तविक व्यय एवं संबंधित एजेंसी द्वारा जमा की गई राशि के अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति संबंधित एजेंसी को करना होगा। इस हेतु महाप्रबंधक द्वारा उक्त अंतर की राशि से तत्काल अवगत करायेगे एवं संबंधित एजेंसी सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर अंतर की राशि प्राधिकरण के खाते में जमा करेंगी।

V. इस विकल्प के अंतर्गत किये जाने वाले Restoration की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व इकाई के इन्जीनियर्स एवं किये गये Restoration के Performance का दायित्व संबंधित संविदाकार का होगा। Performance की अवधि संधारण अनुबंध पूर्ण होने पर Performance अवधि पूर्ण मानी जावेगी।

3. संबंधित एजेंसी द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज/जानकारी का परीक्षण महाप्रबंधक पीआईयू आवेदन प्राप्ति के आगामी 03 कार्य दिवस के अंदर किया जाना सुनिश्चित करेंगे। रेस्टोरेशन लागत की गणना अथवा आवेदन में अन्य कोई त्रुटि पाये जाने पर आवेदक को उनके आवेदन में उल्लेखित ई–मेल/फोन पर सूचित करेंगें।

4. संबंधित एजेंसी द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं उसमें पाई गई त्रुटियों/चाही गई जानकारी प्राप्त होने के उपरांत अनुमति जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार समय–सीमा निर्धारित की जाती है।

- यदि संबंधित एजेंसी द्वारा पाईप/केवल लाईन Laying का प्रस्ताव, निर्मित रोड की टो लाईन से एक मीटर दूर का दिया गया है। ऐसी स्थिति में पहुच मार्ग के संधारण प्रभारी सहायक प्रबंधक/उपयंत्री आगामी 07 दिवस में स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन पीआईयू महाप्रबंधक को प्रस्तुत करेगें। महाप्रबंधक पीआईयू आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर बिना धरोहर राशि (बैंक गारंटी/Restoration लागत) जमा कराये Road cutting अनुमति की प्रक्रिया पूर्ण करेगें।
- यदि संबंधित एजेंसी द्वारा पाईप/केवल लाईन Laying का प्रस्ताव सड़क के शोल्डर पर अथवा BT/CC को Cross करते हुए किये जाने का है ऐसी स्थिति में पहुच मार्ग के संधारण प्रभारी सहायक प्रबंधक/उपयंत्री आगामी 10 दिवस में स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन पीआईयू महाप्रबंधक को प्रस्तुत करेगें।

विषयः— Road cutting अनुमति के संबंध में।

—-00—-

- यदि संबंधित एजेंसी द्वारा पाईप/केवल लाईन Laying का प्रस्ताव पहुच मार्ग के किसी भी भाग में BT/CC रोड के समानान्तर BT/CC को काटकर किये जाने का है, ऐसी स्थिति में महाप्रबंधक पीआईयू आगामी 15 दिवस के भीतर स्थल निरीक्षण करना सुनिश्चित करेगे।
- Road cutting अनुमति (Annexure–C) की संपूर्ण प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस की समय–सीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित करने का दायित्व महाप्रबंधक पीआईयू का होगा।
- भविष्य में मार्ग के उन्नयन/चौडीकरण किये जाने की स्थिति में आवश्यक होने पर पाईप, केबल इत्यादि के विस्थापन कार्य कराने एवं विस्थापन कार्य पर आने वाले व्यय का संपूर्ण दायित्व संबंधित विभाग/एजेंसी का होगा।

ग. महाप्रबंधक पीआईयू का दायित्व है कि उनके कार्यक्षेत्र के अधीन किसी भी केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के शासकीय विभाग/अर्द्वशासकीय विभाग/शासकीय कंपनी/निजी कम्पनी/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/ग्राम पंचायत/निजी व्यक्तियों द्वारा बिना रोड कटिंग अनुमति के बगैर Laying का कार्य नही किया जावे। ऐसी स्थिति में तत्काल जिला प्रशासन को लिखित में अवगत करावे साथ ही महाप्रबंधक पीआईयू शासकीय संम्पत्ति को क्षति पहुँचाने से संबंधित लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा–324 (3) एवं 326 (B) के अंतर्गत FIR दर्ज करायेगें एवं वैधानिक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

(प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदित

Shobha 6/3/2025

(शोभा निकुम)
अवर सचिव
म.प्र. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

C:\Users\DELL\Downloads\Note 27 02.2025.docx

Annexure-A

आवेदन–पत्र प्रारूप
(रोड कटिंग की अनुमति हेतु)

प्रति,

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई–......................
जिला–..(म.प्र.)।

म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्गों पर रोड कटिंग की अनुमति हेतु आवेदन :–

1. शासकीय / अर्द्धशासकीय विभाग / निजी कंपनी / नगर निगम / नगरपालिका / अन्य संबंधित ऐजेन्सी का नाम :..
2. प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्ग का नाम **(सूचना पटल पर अंकित अनुसार)** : ....
3. **रोड कटिंग :–**

   (A) रोड क्रासिंग

   चैनेज..................................

   चनैज ....

   (B) रोड के समानान्तर

   चनैज .... से चैनेज..................................

   चनैज .... से चैनेज..................................

4. रोड कटिंग का उद्देश्य **(पाइप लाइन / केबल लाइन बिछाने हेतु / अन्य कार्य)** : ....
5. रेस्टोरेशन का विकल्प :–

   *(i) संबंधित एजेन्सी द्वारा Restoration का कार्य स्वयं किया जायेगा।

   *(ii) Restoration का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

*जो लागू न हो काट दें

6. वर्तमान दर से की गई गणना के अनुसार :–

   Restoration लागत राशि रू. ....(शब्दों में)..

   6% सुपरविजन चार्ज राशि रू. ....(शब्दों में)..

   कुल लागत राशि रू. ....(शब्दों में)..

7. *Restoration हेतु चयनित विकल्प (i) के परिपालन में –

   Restoration लागत राशि रू. ....(शब्दों में)..जमा की गई है। बैंक गारंटी / एफडीआर का क्रमांक .... दिनांक.............. बैंक का नाम ....**(मूल प्रति संलग्न)**

8. *Restoration हेतु चयनित विकल्प (ii) के परिपालन में –

   Restoration लागत राशि रू. ....(शब्दों में)..प्राधिकरण के खाता क्रमांक .... दिनांक .... को जमा **(संलग्न रसीद)**

*जो लागू न हो काट दें

निरंतर ....

9. 6% सुपरविजन चार्ज राशि रू. ....(शब्दों में)... प्राधिकरण मुख्यालय के सुपरविजन खाता क्र... दिनांक .... को जमा **(संलग्न रसीद)**

उपरोक्तानुसार उल्लेखित मार्ग .... में संलग्न साइट प्लान के अनुसार रोड कटिंग की अनुमति प्रदाय किये जाने का अनुरोध है।

मैं कथन करता/करती हूँ कि मार्ग के कैरिजवे में BT/CC रोड कटिंग का कार्य रोड कटर मशीन से एवं Road Restoration का कार्य संलग्न वर्क प्रोग्राम के अनुसार किया जावेगा। रोड कटिंग की अनुमति पत्र में जारी सभी शर्तों का पालन किये जाने हेतु वचनबद्ध हूँ।

संलग्न :

1. साइट प्लान।
2. बैंक गारंटी/एफडीआर।
3. राशि जमा करने की रसीद।
4. **Road Restoration वर्क प्रोग्राम।**

आवेदक

(हस्ताक्षर)

नामः ....

पद : ....

कार्यालय का पता : ....

दूरभाष/मोबाईल न. :...

ईमेल पता :...

ANNEXURE -'B'

A. Restoration cost - rate for road crossing for laying Pipeline for Flexible Pavement

S.No	Casing of Pipe	Rate per Meter width of Carriage way (For Flexible Pavement) (Rs.)				
		Upto Depth 1.2m.	Depth 1.2m. to 1.5m.	Depth 1.5m. to 2.0m.	Depth 2.0m. to 3.0m..	Depth Beyond 3.0m.
1	Upto 600mm Dia	1730	1886	2146	2666	3186
2	More than 600mm and Upto 1200mm Dia	X	2854	3322	4258	5194
3	More than 1200mm and Upto 2500mm Dia	X	X	4362	5598	7210
4	More than 2500mm Dia	X	X	X	X	26216

B. Restoration cost - rate for Pipe laying along the road (except formation width)

S.No	Casing of Pipe	Rate per Meter (Rs.)				
		Upto Depth 1.2m.	Depth 1.2m. to 1.5m.	Depth 1.5m. to 2.0m.	Depth 2.0m. to 3.0m..	Depth Beyond 3.0m.
1	Upto 500mm Dia	493	649	909	1429	1949
2	More than 500mm and Upto 1000mm Dia	X	883	1351	2287	3223
3	More than 1000mm and Upto 1500mm Dia	X	X	1309	2505	3701
4	More than 1500mm Dia	X	X	X	2518	3974

A. Restoration cost - rate for road crossing for laying Pipeline for Rigid Pavement

S.No	Casing of Pipe	Rate per Meter width of Carriage way (For Rigid Pavement) (Rs.)				
		Upto Depth 1.2m.	Depth 1.2m. to 1.5m.	Depth 1.5m. to 2.0m.	Depth 2.0m. to 3.0m..	Depth Beyond 3.0m.
1	Upto 600mm Dia	4461	5819	8082	12608	17134
2	More than 600mm and Upto 1200mm Dia	X	6687	10761	18907	27054
3	More than 1200mm and Upto 2500mm Dia	X	X	4253	18284	32314
4	More than 2500mm Dia	X	X	X	X	31138

Annexure-C

कार्यालय परियोजना महाप्रबंधक

(मध्य प्रदेश गामीण सड़क विकास प्राधिकरण)

परियोजना कियान्वयन इकाई .... म.प्र.

दिनांक /02/2025

क्र.

प्रति,

....,

....,

....,

विषयः– प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्ग पर रोड कटिंग Permission के संबंध में।

संदर्भः– आपका आवेदन क्र. .... दिनांक .... ।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आवेदन से वांछित .... मार्ग पर रोड कटिंग की अनुमति के प्रकरण का परीक्षण किया गया। आपके द्वारा म.प्र.ग्रा.स.वि. प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल के पत्र क्र. .... दिनांक .... के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया नियामानुसार पूर्ण करते हुये रोड़ कटिंग के पश्चात् रेस्टोरेशन हेतु बैंक गारण्टी/रेस्टोरेशन लागत प्राधिकरण के खाते में जमा कर दी गई है। अतः निम्न शर्तों पर रोड कटिंग की अनुमति दी जाती है–

1. रोड कटिंग का कार्य आवेदन के साथ संलग्न एवं महाप्रबंधक द्वारां अनुमोदित वर्क प्रोग्राम एवं लेआऊट प्लान के अनुसार करना होगा।
2. रोड कटिंग के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय एवं आवश्यक होने पर डायवर्सन आदि का निर्माण एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। विपरीत स्थिति में उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा।
3. रोड कटिंग का स्थान एवं उसका Restoration –
   a) निर्मित रोड की टो लाईन से 1 मीटर दूर करने पर खुदाई में प्राप्त मिट्टी का मानक अनुसार Layer wise compection किया जाना आवश्यक होगा।
   b) निर्मित रोड के शोल्डर पर BT/CC के समानान्तर किन्तु BT/CC edge से 75 से.मी. दूरी पर।

   b) (i) शोल्डर पर पाईप लाईन एवं केवल डालते समय शोल्डर की कटिंग से प्राप्त मटेरियल किसी भी स्थिति में BT/CC सतह पर नही आने देना सुनिश्चित किया जावेगा जिससे की BT/CC का Surface सुरक्षित रहे।

   b) (ii) शोल्डर की कटिंग से प्राप्त मटेरियल को पहुच मार्ग के प्रभारी के निर्देशानुसार बताये गये स्थान पर शिफ्ट किया जावेगा।

   b) (iii) खुदाई से निर्मित Trench की बैक फिलिंग का कार्य MPRRDA के SOR के आईटम नंबर 4.9 के अनुसार Crusher run material से किया जावेगा, जिसका कॉम्पेक्शन मापदंडानुसार किया जाना आवश्यक होगा।

निरन्तर...2..

b) (iv) Trench की ऊपरी 15 से.मी. भाग को हार्ड शोल्डर के मटेरियल जो कि MPRRDA के SOR के आईटम नंबर 4.8 के अनुरूप हो, किया जावेगा, जिसका कॉम्पेक्शन मापदंडानुसार किया जाना आवश्यक होगा।

b) (v) MPRRDA द्वारा निर्मित मार्गों, में से जिन मार्गों का कैरिजवे 5.5 मी. अथवा अधिक है, ऐसे मार्गों पर BT/CC रोड क्रासिंग का कार्य HDD विधि से करना आवश्यक होगा।

b) (vi) 5.5 mt चौडाई से कम कैरिजवे के मार्ग में BT/CC रोड क्रासिंग अथवा समानान्तर की स्थिति में BT/CC रोड की कटिंग का कार्य रोड कटर मशीन से ही किया जावेगा जिससे BT/CC के शेष भाग की गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रभावित न हो। Trench cutting एवं आवश्यतानुसार पाईप/केवल Laying के उपरांत Existing crust के Bottom तक Trench filling का कार्य Crusher run material से MPRRDA के SOR Item No. 4.9 के अनुसार करना उसका Compection किया जावेगा।

b) (vii) काटी गई BT/CC Trench में Crusher run material से Back filling करने के उपरांत शेष क्रस्ट BT/CC का पुनः निर्माण विद्यमान क्रस्ट के अनुरूप मापदण्डों या उससे उच्चतर मापदण्डों के अनुरूप Layer wise किया जावेगा।

b) (viii) यदि पाईप Laying का कार्य विद्यमान Slab culvert के Abutment/pier के मध्यम से किया जाना आवश्यक हो तो एसी स्थिति में Trench Filling का संपूर्ण कार्य कम से कम M-15 grade concrete (SOR item Mo 7.7 (i)) से इस तरह किया जावेगा कि जल के प्रवाह में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो।

4. भविष्य में मार्ग के उन्नयन/चौडीकरण किये जाने की स्थिति में आवश्यक होने पर पाईप, केबल इत्यादि के विस्थापन कार्य कराने एवं विस्थापन कार्य पर आने वाले व्यय का संपूर्ण दायित्व संबंधित विभाग/एजेंसी का होगा।

उपरोक्त शर्तों का कडाई से पालन किया जाये।

महाप्रबंधक
पीआईयू ....

CGM & GM Office Address & Email list

S.No.	CGM Office	Email	Address
1	CGM, Jabalpur	cgmjbprrda@rediffmail.com	Office of the CGM, RRNMU Building, Infornt of Ambedkar Bhawan, Near Tehsil Chowk, Beohar bagh Jabalpur, MP
2	CGM, Rewa	cgmrewa@rediffmail.com	Office of the CGM, RRNMU Building, Behind Chandralok Hotal, Chorhata, Rewa, MP
3	CGM, Gwalior	cgmgwalior2019@gmail.com	Office of the CGM, RRNMU Building, Near District Education Officer, Footi Colony ,Sirol, Gwalior, MP
4	CGM, Sagar	cgmsagar1@gmail.com	Office of the CGM, Near Govind Bhawan Tili Road Sagar, MP
5	CGM, Ujjain	cgmujjain1@gmail.com	Office of the CGM, RRNMU Building, Behind Kanchan Hotal,Infront Meghdoot Hotel, Ujjain, MP
6	CGM, Indore	cgmindore@rediffmail.com	Office of the CGM, RRNMU Building, 17/1,17/2 and 18, Asarawad Khurd, Tapal Ghati, Khandwa Road Indore, MP
7	CGM, Bhopal	cgmbpl2@gmail.com	Office of the CGM, RRNMU Building, Walmi Prisar, Near Kaliyasot Dam, Bhopal
S.No.	**PIU Name**	**Email**	**Address**
1	Agar	gmagarpiu@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Agar, Madhya Pradesh
2	Alirajpur	piualirajpur@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Alirajpur, Madhya Pradesh
3	Anuppur	gmanuppur@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Anuppur, Madhya Pradesh
4	Ashoknagar	gmrrda_ask@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Ashoknagar, Madhya Pradesh
5	Balaghat-1	gm_bgtpiu1@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Balaghat, Madhya Pradesh
6	Balaghat-2	gm_bgtpiu.2@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Balaghat, Madhya Pradesh
7	Barwani	pmgsybarwani@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Barwani, Madhya Pradesh
8	Betul-1	piubetul@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Betul, Madhya Pradesh
9	Betul-2	piubetul2@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Betul, Madhya Pradesh
10	Bhind	mprrdabhi@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Bhind, Madhya Pradesh
11	Bhopal	gmrrdabpl@gmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Bhopal, Madhya Pradesh
12	Burhanpur	gmrrdaburhanpur@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Burhanpur, Madhya Pradesh
13	Chhatarpur	piuchhatarpurno1@yahoo.co.in	Office of General Manager, PIU, District, Chhatarpur, Madhya Pradesh
14	Chhindwara-1	gmrrdachw@gmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Chhindwara, Madhya Pradesh
15	Chhindwara-2 **(Pandurna)**	piu2chhindwara@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Chhindwara, Madhya Pradesh
16	Damoh	gmrrdadamoh@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Damoh, Madhya Pradesh
17	Datia	gmpiudatia@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Datia, Madhya Pradesh
18	Dewas	rrdadws@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Dewas, Madhya Pradesh
19	Dhar-1	piudhar@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Dhar, Madhya Pradesh
20	Dhar-2	piu_kukshi@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Dhar(Mnawar), Madhya Pradesh
21	Dindori	gmrrdadindori@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Dindori, Madhya Pradesh
22	Guna	gmrrdaguna@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Guna, Madhya Pradesh
23	Gwalior	gmrrda_gwl@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Gwalior, Madhya Pradesh
24	Harda	hardagm@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Harda, Madhya Pradesh
25	Narmadapuram	hbadgm12@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Hoshangabad, Madhya Pradesh
26	Indore	gmrrdaindor@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Indore, Madhya Pradesh
27	Jabalpur	gmrrdajabalpur@hotmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Jabalpur, Madhya Pradesh
28	Jhabua	rrdajha@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Jhabua, Madhya Pradesh
29	Katni	gmmprrda_katni@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Katni, Madhya Pradesh
30	Khandwa	gmmprrdakhandwa@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Khandwa, Madhya Pradesh
31	Khargone	rrdakhr@gmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Khargone, Madhya Pradesh
32	Mandla	gmrrdamndl@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Mandla, Madhya Pradesh
33	Mandsaur	gmrrda_mds@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Mandsaur, Madhya Pradesh
34	Morena	mprrdamrn@gmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Morena, Madhya Pradesh
35	Narsinghpur	gmmprrdansp@yahoo.com	Office of General Manager, PIU, District, Narsinghpur , Madhya Pradesh
36	Neemuch	gmrrda_nmh@yahoo.co.in	Office of General Manager, PIU, District, Neemuch, Madhya Pradesh
37	Panna	gmpanna@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Panna, Madhya Pradesh
38	Raisen	gmpiuraisen@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Raisen, Madhya Pradesh
39	Rajgarh	gmpiurajgarh1@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Rajgarh, Madhya Pradesh
40	Ratlam	gmrrdartlm@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Ratlam, Madhya Pradesh
41	Rewa-1	gmpiurew@yahoo.co.in	Office of General Manager, PIU, District, Rewa, Madhya Pradesh
42	Rewa-2 (**Maugunj**)	piumau2007@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Rewa , Madhya Pradesh
43	Sagar-1	mprrdasgr@yahoo.com	Office of General Manager, PIU, District, Sagar, Madhya Pradesh
44	Sagar-2	mprrdasgr2@gmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Sagar, Madhya Pradesh
45	Satna-1	gmpiusatna@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Satna, Madhya Pradesh
46	Satna-2 (**Maihar**)	gmpiusatna2@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Satna, Madhya Pradesh
47	Sehore	gmrrdasehore@gmail.com.	Office of General Manager, PIU, District, Sehore, Madhya Pradesh

[illegible]	[illegible]oni	gmrrdaseoni@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Seoni, Madhya Pradesh
49	Shahdol	piushahdol@yahoo.com	Office of General Manager, PIU, District, Shahdol , Madhya Pradesh
50	Shajapur	gm_shajapurpiu@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Shajapur, Madhya Pradesh
51	Sheopur	gmrrdasheopur@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Sheopur, Madhya Pradesh
52	Shivpuri	gmrrdasvp@yahoo.co.in	Office of General Manager, PIU, District, Shivpuri, Madhya Pradesh
53	Sidhi	gmpiusidhi1@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Sidhi, Madhya Pradesh
54	Tikamgarh-1	mprrdatkg@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Tikamgarh, Madhya Pradesh
55	Tikamgarh-2 (**Niwari**)	mprrdatkg@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Tikamgarh, Madhya Pradesh
56	Ujjain	gmujjain@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Ujjain, Madhya Pradesh
57	Umaria	mprrdapiuumaria@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Umaria, Madhya Pradesh
58	Vidisha	gmrrdavidisha@gmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Vidisha, Madhya Pradesh
59	Singrouli (Waidhan)	gmmprrdawaidhan@rediffmail.com	Office of General Manager, PIU, District, Waidhan, Madhya Pradesh